न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/54

1. रामकिशन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गोपाल पुत्र स्व0 रामकिशन ।
   1/2. रमेश पुत्र स्व0 रामकिशन ।
   1/3. बृजमोहन पुत्र स्व0 रामकिशन ।
   1/4. हेमराज पुत्र स्व0 रामकिशन जी जाति नाथ निवासीगण अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शम्भूनाथ आत्मज गेंदीनाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. लाडबाई बेवा शम्भूनाथ जी ।
   1/2. रामनारायण पुत्र शम्भूनाथ जी ।
   1/3. मुकुट बिहारी पुत्र स्व0 शम्भूनाथ जी ।
   1/4. जगदीश पुत्र स्व0 शम्भूनाथ जी ।
   1/5. नरेन्द्र पुत्र शम्भूनाथ जी ।
   1/6. कन्या बाई पुत्री शम्भूनाथ जी ।
   1/7. कैलाश बाई पुत्री शम्भूनाथ जी ।
   1/8. चन्दा पुत्री शम्भूनाथ जी जाति नाथ निवासीगण ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 15/55

2. रामकिशन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गोपाल पुत्र स्व0 रामकिशन ।
   1/2. रमेश पुत्र स्व0 रामकिशन ।
   1/3. बृजमोहन पुत्र स्व0 रामकिशन ।
   1/4. हेमराज पुत्र स्व0 रामकिशन जी जाति नाथ निवासीगण अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

3. शम्भूनाथ आत्मज गेंदीनाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. लाडबाई बेवा शम्भूनाथ जी ।
   1/2. रामनारायण पुत्र शम्भूनाथ जी ।
   1/3. मुकुट बिहारी पुत्र स्व0 शम्भूनाथ जी ।
   1/4. जगदीश पुत्र स्व0 शम्भूनाथ जी ।
   1/5. नरेन्द्र पुत्र शम्भूनाथ जी ।
   1/6. कन्या बाई पुत्री शम्भूनाथ जी ।
   1/7. कैलाश बाई पुत्री शम्भूनाथ जी ।
   1/8. चन्दा पुत्री शम्भूनाथ जी जाति नाथ निवासीगण ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द नामदेव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री बाबूलाल योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 23.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.10.2011 तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 (मृतक) शम्भूनाथ ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी एवं प्रतिवादी कम 01 के स्व0 दादा श्री मोतीनाथ के खाते की गत खसरा नम्बर 120 की रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा स्थित थी । मोतीनाथ की मृत्यु के बाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी के खसरा नम्बर 214 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 215 की रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कायम कर दिये और सम्पूर्ण आराजी को तन्हा रूप से प्रतिवादी कम 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी । भू–प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी के पुनः नये खसरा नम्बर 451 रकबा 0.75 हैक्टर दर्ज कर दिया । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी व प्रतिवादी कम 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उनके पूर्वजों के पश्चात् पीढी दर पीढी

हिस्सा बराबर से दर्ज किया जाना चाहिए परन्तु प्रतिवादी क्रम 01 की नियत में बदयान्ति आ जाने की वजह से उसने राजस्व अधिकारियों से सांठ–गॉठ कर सम्पूर्ण आराजीयात पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम तन्हा रूप से दर्ज करवा लिया । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की सहायता से अपने 1/2 हिस्से की आराजी को हाल राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से दर्ज करवा सके ।

4. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम नयागॉव उर्फ रामपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित हाल खसरा नम्बर 451 की 0.75 हैक्टर आराजी का बंटवारा किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की आराजी को हाल राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से वादी के खाते दर्ज किया जावे और लगान राज कायम किया जावे तथा वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर गत इन्द्राज को बदला जावे तथा वादी की 1/2 हिस्से की आराजी को पृथक से उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । प्रतिवादी क्रम 02 को हाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने व आराजीयात का बंटवारा करने हेतु निर्देशित किया जावे और वादी के 1/2 हिस्से की बंटवारे के अनुसार प्राप्त भूमि पर उसे मौके पर कब्जा भी दिलाया जावे ।

5. प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 04 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.10.2011 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज करने की प्राथमिक डिक्री पारित की । प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 28.02.2012 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.10.2012 एवं निर्णय तथा अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 (मृतक) रामकिशन के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत् विभाजन किसी प्रकार से मेन्टेनेबल नहीं था क्योंकि वादी क्लीन हैण्ड से अपना वाद लेकर नहीं आया है । वादी केवल मात्र रामपुरा उर्फ नयागॉव की आराजी के सम्बन्ध में वाद लाया है जबकि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य अन्य ग्राम में भी भूमि स्थित है जिनको वादी ने अपने वाद में छुपाया है । वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खाते की अन्य आराजी भी स्थित है जिसका प्रतिवादी अपीलान्ट ने अपने जवाब में पूर्ण रूप से कथन किया है जिसके सम्बन्ध में वादी की ओर से कोई खण्डन नहीं आया है उसके उपरान्त भी केवल एक ही गॉव की भूमि का विभाजन करके निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम नहीं की हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की है तथा राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.10.2012 एवं निर्णय तथा अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2012 निरस्त फरमाये जावें ।

8. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट गॉव के व्यक्ति हैं जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में अपना वकील नियुक्त करके अपना जवाब पेश किया था तथा जवाब के बाद वकील साहब द्वारा आवश्यकता होने पर बुलाने का आश्वासन दिया था लेकिन वकील साहब द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय तथा अंतिम डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.12.2014 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का कथन किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 नया खाता संख्या 164, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 137 पेश किये हैं । उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ हैं और प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जो विभाजन का दावा पेश किया है वो सिर्फ ग्राम रामपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी के बाबत् पेश किया है जबकि वादी एवं प्रतिवादी की अन्य ग्राम में भी भूमि स्थित है जिनको वादी ने वाद में छिपाया है । वादी एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी में अन्य आराजीयात भी स्थित है जिसका जवाब में पूर्ण कथन किया गया है इसका खण्डन वादी की ओर से नहीं किया गया है फिर भी सिर्फ एक ही गॉव की आराजी के सम्बन्ध में प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.10.2012 एवं निर्णय तथा अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2012 निरस्त फरमाये जावें ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अन्य गॉवों में स्थित आराजीयात का बंटवारा हो चुका है इस कारण इसी ग्राम की आराजी के बाबत् दावा पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से डिक्री किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.10.2012 एवं निर्णय तथा अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2012 बहाल रखे जावें ।

14. दौराने बहस रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक ने भी कुछ दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गये । उक्त दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 130, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 136, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 नया खाता संख्या 164 ओर नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 137, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 नया खाता संख्या 360, नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 नया खाता संख्या 123, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 नया खाता संख्या 238 पेश की हैं ।

15. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा दावा हक घोषणा एवं विभाजन का पेश किया गया है इस दावे में ग्राम रामपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 120 की रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा आराजी जिसके नये खसरा नम्बर 214 एवं 215 कायम किये गये हैं और पुनः सेटलमेंट ने उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 451 रकबा 0.75 हैक्टर बनाये हैं, के बाबत् पेश किया है । इस दावे को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.10.2011 को प्रारम्भिक डिक्री और दिनांक 28.02.2012 को अंतिम डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट के द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अन्य गॉव में स्थित आराजीयात को शामिल नहीं किया गया है जिनको विभाजन में शामिल किया जाना आवश्यक है । अपने पक्ष के समर्थन में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अन्य गॉवों की नकल जमाबन्दी पेश की है । नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 नया खाता संख्या 164 के अनुसार ग्राम अमरपुरा में कुल 02 किता की रकबा 2.06 हैक्टर आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 137 में ग्राम रामपुरिया की कुल 02 किता की 4.33 हैक्टर आराजी पक्षकारान के सहखाते में दर्ज है । दोनों गॉवों की आराजीयात को विभाजन में शामिल नहीं किया गया है । विभाजन के दावे में सहखाते की समस्त आराजीयात को शामिल किया जाना आवश्यक होता है ।

17. रेस्पोडेन्ट के विद्धान् अभिभाषक ने कथन किया है कि अन्य गॉवों की आराजीयात का विभाजन हो चुका है और उनके द्वारा जो जमाबन्दी की नकलें पेश की गई हैं उसमें नया खाता संख्या 164 व 137 की जमाबन्दी शामिल हैं । इन दोनों गॉवों की आराजीयात पक्षकारों के सहखाते में दर्ज है और इनका विभाजन नहीं हुआ है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अन्य गॉवों में स्थित सहखाते की भूमि को शामिल करते हुए पुनः विभाजन की डिक्री पारित करें ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.10.2011 तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अन्य गॉवों में स्थित संयुक्त खाते की

आराजीयात के विभाजन हेतु आवश्यक तनकी कायम करें, इसके उपरान्त कायम की गई अतिरिक्त तनकी के बाबत् पक्षकारों को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करें और प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा